हकाम
तामील

FORM No.111

APP
Crll

फर्दअहकाम

(नियम 26)

(मिस)लम कलेक्टर मुकाम बसवा

छल्लूराम बनाम प्रभु

(मुक)दमा विविध नं. 19 सन 2023

(ता. ह)ुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/6/2	पत्रावली पेश हुई बहस सुनी गई, निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शामिल मिसल हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर, [illegible] [illegible] हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	(मुहर: कलेक्टर व उप जिला ... बसवा (दौसा) राज.)

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा

जिला–दौसा

प्रकरण संख्या 19/2023
प्रकरण रज्जु दिनांक : 31.5.2023
निर्णय दिनांक 19.6.2024

प्रकरण :– वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

1. कल्लूराम पुत्र नाथ्या, जाति मीना नि. कौलाना, तह.बसवा जिला–दौसा
2. छोटेलाल पुत्र नाथ्या, जाति मीना नि. कौलाना, तह.बसवा जिला–दौसा
3. गिर्राज पुत्र नाथ्या, जाति मीना नि. कौलाना, तह.बसवा जिला–दौसा
4. बुद्धा पुत्र नाथ्या, जाति मीना नि. कौलाना, तह.बसवा जिला–दौसा
5. रामहेत पुत्र मंगल्या, जाति मीना नि. कौलाना, तह.बसवा जिला–दौसा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. प्रभु पुत्र रामधन मीना निवासी कौलाना तह.बसवा जिला–दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला–दौसा

(अप्रार्थीगण)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 19.6.2024

उपस्थिति :–1. प्राथीगर्ण की ओर से एडवाकेट श्री अमरसिंह गुर्जर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी हेतु पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 45 के खसरा नंबर 500 रकबा 0.22 हैक्टयर, 501 रकबा 0.29 हैक्टयर, 502 रकबा 0.06 हैक्टयर, 503 रकबा 0.01 हैक्टयर किता 4 कुल रकबा 0.58 हैक्टयर ग्राम कौलाना तहसील बसवा जिला–दौसा में स्थित है । प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त होकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं किंतु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के मध्य अक्सर सीमा विवाद होता रहता है । उक्त आराजी का दिनांक 17.6.2022 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है, सीमाज्ञान के उपरांत अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि को स्वयं की बताना शुरू कर दिया जिससे सीमा विवाद हो गया । इसलिए भूमि की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हुआ है । दिनांक 15.5.2023 को प्रार्थीगण जब अपनी उक्त आराजी पर थे तो अप्रार्थी एवं उसका परिवार एकराय होकर आया धमकी दी की वे प्रार्थीगण की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करेंगे । सीमा विवाद उत्पन्न होने से यह लाजिमी है कि भूमि की पत्थरगढी करवाई जावे । अतः प्रा.पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 45 के खसरा नंबर 500 रकबा 0.22 हैक्टयर, 501 रकबा 0.29 हैक्टयर, 502 रकबा 0.06 हैक्टयर, 503 रकबा 0.01 हैक्टयर किता 4 कुल रकबा 0.58 हैक्टयर ग्राम कौलाना तहसील बसवा जिला–दौसा की पत्थरगढी मुताबिक नक्शा मौका की जावे ।

प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश होने पर, प्रकरण को नियमानुसार रजिस्टर में दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 1 बाद तामील भी अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही में अमल में लाई गई ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

पत्रावली का अवलोकन किया, मुताबिक मौका पर्चा वास्ते सीमाज्ञान द्वारा पटवारी हलका कौलाना द्वारा दिनांक 17.6.2022 में अंकन किया गया है कि ''आज दिनांक 17.6.2022 को श्रीमान् तहसीलदार बसवा के आदेश कमांक एलआर/2022/8141-43 दिनांक 15.6.2022 की पालना में ग्राम कौलाना में स्थित आराजी खसरा नंबर 500, 501, 502, 503, किता 4 रकबा 0.58 हैक्टयर के सीमाज्ञान करने हेतु मौके पर पहुँचा । मौके पर प्रार्थना पत्र देहन्दा एवं पडौसी खातेदार उपस्थित मिले । सर्वप्रथम राजस्व नैशे से मौका निरीक्षण किया गया । मुताबिक राजस्व नक्शे में आराजी खसरा नंबर 503 व 173 गै.मु.चाह का मौका देखा गया जो सही पाये गये । आराजी खसरा नंबर 503 व 173 गै.मु. चाह को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए आराजी खसरा नंबर 500, 501, 502, 503 किता 4 रकबा 0.58 हैक्टयर का सीमाज्ञान किया गया । एवं मौके पर प्रार्थना पत्र देहिन्दा सायल एवं पडौसी खातेदारों की उपस्थिति के समक्ष सभी कोनों पर निशानात लगाये गये । मौके पर मौका पर्चा तैयार कर पढकर सुनाया गया । एवं मौके पर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये ।''

प्रार्थीगण कील की बहस सुनी गई । प्रार्थी पक्ष के द्वारा अपनी बहस में इन तथ्यों को न्यायालय के सम्मुख रखा गया कि प्रार्थिया द्वारा जो प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी पेश किया है, वह विधिसम्मत व न्यायोचित है, लिहाजा पत्थरगढी करने के आदेश प्रसारित किये जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण के कम में पटवारी हलका कौलाना द्वारा दिनांक 17.6.2022 को मुताबिक राजस्व नक्शे में आराजी खसरा नंबर 503 व 173 गै.मु.चाह का मौका देखा गया जो सही पाये गये । आराजी खसरा नंबर 503 व 173 गै.मु.चाह को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए आराजी खसरा नंबर 500, 501, 502, 503 किता 4 रकबा 0.58 हैक्टयर ग्राम कौलाना का सीमाज्ञान किया जा चुका है ।

लिहाजा आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार बसवा ग्राम कौलाना खाता संख्या 45 के खसरा नंबर 500 रकबा 0.22 हैक्टयर, 501 रकबा 0.29 हैक्टयर, 502 रकबा 0.06 हैक्टयर, 503 रकबा 0.01 हैक्टयर किता 4 कुल रकबा 0.58 हैक्टयर ग्राम कौलाना तहसील बसवा जिला-दौसा का नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवावें, एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी बसवा
जिला-दौसा

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)